



2026:AHC:54065

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 9338 वर्ष 2026

संजय कुमार पांडे

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पी.एच. वशिष्ठ

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत यह वर्तमान आवेदन इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा विविध वाद संख्या 1869/2026 [राज्य बनाम संजय कुमार पांडे] में दिनांक 04.02.2026 को पारित विवादित समन आदेश को रद्द/समाप्त कर दिया जाए। यह मामला वाद अपराध संख्या 0166/2025 से उत्पन्न हुआ है, जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4)(A) और उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 2021 के नियम 60(2), 60(4), 35, 3, 58, 42(2) 'ja' और 42 'ja' के तहत पुलिस थाना ललौली, जिला फतेहपुर में दर्ज है; साथ ही, आवेदक के विरुद्ध विवेचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.07.2025 को प्रस्तुत आरोप पत्र को भी रद्द किया जाए।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 26.05.2025 को खान निरीक्षक द्वारा आवेदक के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसे पुलिस थाना ललौली, जिला फतेहपुर में केस क्राइम संख्या 0166/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 303(2) BNS, उत्तर प्रदेश खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 1957" कहा जाएगा) की धारा 21(4)(A), तथा उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 2021 (जिसे इसके बाद "नियमावली, 2021" कहा जाएगा) के नियम 3(1), 58, 60(2), 60(4) के अंतर्गत दर्ज की गई थी। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण की और पाया कि आवेदक के विरुद्ध धारा 303(2) BNS के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है, और उक्त धारा के तहत विवेचना समाप्त कर दी गई। तथापि, विवेचना अधिकारी ने अधिनियम, 1957 की धारा 21(4) तथा नियमावली, 2021 के नियम 3, 35, 42ja, 42(2)ja (1), 58, 60(2), 60(4) के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया। इसके पश्चात्, माननीय मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लिया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने दिनांक 04.02.2026 के आदेश के माध्यम से, उपर्युक्त धाराओं के तहत अपराध का संज्ञान गलत और अवैध रूप से लिया है। विद्वान मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करने में विफल रहे और उन्होंने यांत्रिक रूप से अधिनियम, 1957 की धारा 21(4)1 तथा नियम, 2021 के नियम 3, 35, 42 ja, 42(2)ja (1), 58, 60(2), 60(4) के तहत संज्ञान लेने की कार्यवाही की। यह निवेदन किया गया है कि संबंधित विद्वान न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेकर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। आवेदक के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और यह निवेदन किया कि संज्ञान संबंधी आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. संदर्भ के लिए, अधिनियम, 1957 की धारा 22 और नियम, 2021 के नियम 76 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"22. अपराधों का संज्ञान- कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान तब

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तक नहीं लेगा, जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत न की गई हो।

76. अपराधों का संज्ञान- (1) कोई भी न्यायालय इन नियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि जिला अधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों के बारे में लिखित शिकायत न की गई हो।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न स्तर का कोई भी न्यायालय, इन नियमों के तहत किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।"

8. अधिनियम 1957 की उपर्युक्त धारा 22 बहुत स्पष्ट है, जिसमें यह प्रावधान है कि 1957 के अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय नहीं लेगा। इसी प्रकार, 2021 के नियमों के नियम 76 के परिप्रेक्ष्य में, 2021 के नियमों के तहत तब तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता, जब तक कि जिला अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा कोई शिकायत दर्ज न की गई हो।

9. कंवर पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2020) 14 SCC 331 में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि मजिस्ट्रेट केवल भारतीय दंड संहिता के तहत आने वाले अपराधों के लिए ही आरोप-पत्र (चार्जशीट) के आधार पर संज्ञान ले सकते हैं; परंतु 1957 के अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों का संज्ञान केवल उसी स्थिति में लिया जा सकता है, जब 1957 के अधिनियम के प्रावधानों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुसार किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज की गई हो। इस निर्णय का पैराग्राफ 16 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"16. ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए, हम हाई कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराते हैं, जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 379 C और 'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम' की धाराओं 3 और 4 के तहत अपराध के अभियोजन और संज्ञान को रद्द करने से इनकार किया गया था। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 4 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 21 के तहत अभियोजन और संज्ञान, प्राधिकरण के अभाव में वैध और उचित नहीं होगा। इसके अलावा, हमारे सामने मौजूद कानूनी मुद्दे पर निर्णय लेते और उसका जवाब देते समय हमारी टिप्पणियों को, शिकायत में लगाए गए तथ्यात्मक आरोपों पर निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को तथ्यात्मक आरोपों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए और कानून के अनुसार आरोप पर निर्णय लेना चाहिए। ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम' की धाराओं 3 और 4 के तहत अपराध के अभियोजन और संज्ञान को सही ठहराया है। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।"

10. सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर जयंत और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के फैसले में, जो (2021) 2 SCC 670 में दर्ज है, यह टिप्पणी की कि भले ही पुलिस द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया हो, तो भी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए माननीय मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं; परंतु अधिनियम, 1957 के तहत अपराध के लिए माननीय मजिस्ट्रेट उस आरोप पत्र के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकते। इसके अतिरिक्त यह भी टिप्पणी की गई कि मजिस्ट्रेट केवल तभी संज्ञान ले सकते हैं, जब अधिनियम, 1957 के तहत अपराध के लिए उस आरोप पत्र के साथ-साथ किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत भी दाखिल की गई हो। उपर्युक्त फैसले के पैराग्राफ 21.3, 21.4 और 21.5 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"21.3. भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध करने पर, पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद, जिस मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में वह मामला आता है, वह एमएमडीआर एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लेने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की जाने वाली शिकायत का इंतजार किए बिना ही, उस अपराध का संज्ञान ले सकता है।

21.4. एमएमडीआर एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में, जब कोई मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156(3) के तहत कोई आदेश पारित करता है और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी को एक्ट और नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अपराध का मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देता है, और उसके बाद जांच पूरी होने पर पुलिस स्टेशन का प्रभारी/जांच अधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उस रिपोर्ट को संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ-साथ एमएमडीआर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक्ट की धारा 22 में उल्लिखित संबंधित अधिकृत अधिकारी को भी भेजा जा सकता है। इसके बाद, संबंधित अधिकृत अधिकारी, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ, माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दायर कर सकता है। इसके उपरांत, माननीय मजिस्ट्रेट के लिए यह संभव होगा कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, एमएमडीआर एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान ले और समन/प्रक्रिया जारी करे; और इस चरण पर यह कहा जा सकता है कि माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान ले लिया गया है।

21.5. ऐसे मामले में, जहां उल्लंघनकर्ता को एमएमडीआर एक्ट की धारा 23-A के उप-धारा (1) के अनुसार जुर्माना अदा करके अपराधों का शमन करने की अनुमति दी जाती है, तो एमएमडीआर एक्ट की धारा 23-A के उप-धारा (2) को ध्यान में रखते हुए, एमएमडीआर एक्ट या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय उन अपराधों के संबंध में, जिनका शमन कर दिया गया है, अपराधी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी। हालांकि, धारा 23-A के उप-धारा (2) के तहत लगाया गया यह प्रतिबंध, भारतीय दंड संहिता के तहत आने वाले अपराधों के लिए की जाने वाली किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा, जैसे कि धाराएँ... " भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 414 के तहत, और इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



11. एक अन्य मामले में, राज्य (NCT of Delhi) बनाम संजय, (2014) 9 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 772 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ-70 में यह टिप्पणी की कि अधिनियम, 1957 की धारा 22 के मद्देनज़र, किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर ही आवेदक के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया जा सकता है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ-70 नीचे उद्धृत किया गया है:-

"70. एमएमडीआर अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंधों और उसमें दिए गए उपचार के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता। किसी भी ऐसे मामले में, जहाँ कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 4 और अन्य धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन गतिविधि करता है, तो अधिनियम के तहत सशक्त और अधिकृत अधिकारी अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा, जिसमें क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करना भी शामिल है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट, किसी विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा उसके समक्ष दायर की गई शिकायत के आधार पर ही संज्ञान लेगा। अधिनियम की धारा 4 और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन या अवहेलना के मामले में, पुलिस अधिकारी, पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड के आधार पर, जिसमें उक्त अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया हो, मजिस्ट्रेट से अधिनियम के तहत संज्ञान लेने का आग्रह नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 22 में निहित वह निषेध, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति का अभियोजन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी अधिकारी द्वारा शिकायत न की गई हो, केवल तभी लागू होता है जब किसी व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए अभियोजन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चलाने का प्रयास किया जा रहा हो; न कि किसी ऐसे कार्य या चूक के लिए, जो दंड संहिता के तहत एक अपराध की श्रेणी में आता हो।"

12. इस मामले में, आवेदक पर केवल 1957 के अधिनियम की धारा 21(4)1 और 2021 के नियमों के नियम 3, 35, 42(2)ja (1), 58, 60(2), 60(4) के तहत अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की गई है। पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के किसी भी संबंधित प्रावधान के तहत कोई चार्जशीट जमा नहीं की गई है। इसलिए, उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट चार्जशीट के आधार पर 1957 के अधिनियम या 2021 के नियमों के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते हैं। संज्ञान केवल तभी लिया जा सकता है जब अधिकृत अधिकारी द्वारा चार्जशीट के साथ शिकायत दायर की जाए। माननीय मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी द्वारा जमा की गई चार्जशीट के आधार पर आवेदक के खिलाफ अवैध और अनुचित तरीके से कार्यवाही की है और, संज्ञान लेते समय, 1957 के अधिनियम की धारा 22 और 2021 के नियमों के नियम 76 के अनिवार्य प्रावधान पर विचार करने में विफल रहे हैं।

13. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त मामले की कार्यवाही, दिनांक 28.07.2025 की चार्जशीट, और दिनांक 04.02.2026 का संज्ञान एवं समन आदेश, एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।

14. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत प्रस्तुत यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. तथापि, संबंधित प्राधिकारियों को किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी स्थिति में, माननीय मजिस्ट्रेट शिकायत मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

17 मार्च, 2026

राधिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।